न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी   सुभाष चन्द, आर.ए.एस.

मैनुअल प्र.सं. : 03/2018

जीसीएमएस : 2018/00161

हुकम कौर आदि   बनाम   कृपाल कौर आदि

अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर.एक्ट

उपस्थिति :-

1. श्री सुभाष बिश्नोई, वकील अपीलांट
2. श्री हरजिन्द्र सिंह, वकील रेस्पोंडेंट सं. 1 से 6

—: निर्णय :—

दिनांक : 22.07.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट ने अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत मालसर के इन्तकाल सं. 285 दिनांक 04.07.2016 जिसकी रूह से मृतक लाल सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति रायसिख की भूमि का विरास्तन इन्तकाल रेस्पोंडेंट सं. 1 ता 6 के पक्ष में किया गया, के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि लाल सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति रायसिख निवासी 15 एनपी के नाम से चक 15 एनपी के प.नं. 167/337 की 6.200है. बारानी व प.नं. 166/337 में 3.100है. बारानी कुल 9.300है. बारानी भूमि खातेदारी थी। लालसिंह की मृत्यु के पश्चात भूमि का विरास्तन इंतकाल पटवारी हल्का व सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा किया गया। रेस्पोंडेंट 1 से 6 द्वारा दिनांक 04.07.2016 को वसीयत छुपाते हुए इंतकाल सं. 285 तस्दीक कर लालसिंह के हिस्से की भूमि में से 0.930है. भूमि का इंतकाल दर्ज करवा लिया जो गलत हैं रेस्पों. सं. 1 से 6 को मात्र 0.232है. भूमि हिस्सा में आती थी। अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 285 दिनांक 04.07.2016 को अपास्त कर रेस्पो. सं. 1 से 6 के पक्ष में 0.232है. भूमि का इन्तकाल व बाकी भूमि अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल दर्ज करने के [illegible] किया।

अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को तलब किया गया। रेस्पोंडेंट सं. 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आए। रेस्पोंडेंट सं. 7 [illegible] ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से कोई अनुतोष अपीलांट द्वारा नहीं चाहा गया हैं। औपचारिक पक्षकार संयोजित किया हैं। ग्राम पंचायत से अपीलाधीन आदेश संबंधित रिकार्ड कार्यवाही विवरण रजिस्टर तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलांट अपनी बहस में अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश ग्राम पंचायत का निरस्त करते हुए इन्तकाल सं. 285 दिनांक 04.07.2016 अपास्त करने हेतु निवेदन किया। वकील रेस्पोंडेंट सं. 1 से 6 अपनी बहस में निवेदन किया कि रेस्पोंडेंट का अपीलांट के साथ राजीनामा हो गया हैं। यदि अपील स्वीकार की जाती हैं तो उन्हें कोई एतराज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अधिवक्ता रेस्पोंडेंट के कथनानुसार पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका हैं। अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर अपील एवं प्राथना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार की जाती हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत मालसर के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए चक 15 एनपी के ग्राम पंचायत को इन्तकाल सं. 285 दिनांक 04.07.2016 को अपास्त किया जाता हैं। मूल रिकार्ड लौटाया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.07.29 12:27:37 IST
Reason: SelfAttested

(सुभाष चन्द्र)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर